भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 314

03.02.2023 को उत्तर के लिए

महिलाओं हेतु विवाह की आयु

314. श्री के. सुधाकरनः
श्री के. मुरलीधरन:
श्री भागीरथ चौधरी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष करने की विधि आयोग की सिफारिश के विरुद्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महिलाओं के लिए विवाह की आयु, मातृत्व की आयु और संबंधित मामले पर पुनर्विचार करने के लिए गठित कृतिक बल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, यदि हां, तो कृतिक बल के निष्कर्षों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को पता है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का विवाह किया जाता है और क्या उसने इस तथ्य पर विचार किया है कि बदली हुई नीतियों के कारण प्रवर्तन का बोझ बढ़ जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ङ): सरकार ने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 वर्ष करने के लिए 21.12.2021 को लोकसभा में 'बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021' नामक विधेयक पेश किया था। विधेयक में पक्षकारों के विवाह की आयु से संबंधित अधिनियमों जैसे 'भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872', 'पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936', 'मुस्लिम' पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937', 'विशेष विवाह अधिनियम, 1954', 'हिंदू विवाह अधिनियम, 1955', और 'विदेशी विवाह अधिनियम, 1969' में परिणामी संशोधन करने के प्रावधान भी हैं । तब से विधेयक को विभाग से संबंधित शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति को जांच के लिए भेजा गया है।

संसद में पूर्वोक्त विधेयक पेश करने से पहले, सरकार द्वारा गठित कार्य बल ने विवाह और मातृत्व की आयु और अन्य संबंधित पहलुओं के संबंध की जांच करने के लिए प्रासंगिक मंत्रालयों/विभागों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज, छात्रों आदि सहित हितधारकों के साथ विवाह की आयु और मातृत्व से संबंधित सभी पहलुओं पर परामर्श किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्य बल ने अपनी रिपोर्ट में महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 21 साल करने की सिफारिश की थी, ताकि समाज में अधिक से अधिक लैंगिक समानता को एक

प्रभावी प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके, लड़कियों को शिक्षा, पेशेवर प्रशिक्षण और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शामिल होने और पूरा करने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। कार्य बल ने उल्लेख किया है कि यह महिलाओं के लिए रोजगार, कमाई और वित्तीय निर्भरता के अवसर खोलेगा। साथ ही, यह पहली गर्भावस्था और मातृत्व के लिए एक इष्टतम समय प्रदान करेगा, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण में काफी सुधार होगा, और मातृ मृत्यु दर, जन्म पर कम वजन, शिशु मृत्यु दर और पोषण के अधीन बच्चे के जोखिम में काफी कमी आएगी। कार्य बल ने यह भी सिफारिश की थी कि सरकार संशोधन के कार्यान्वयन की तारीख के लिए दो में से किसी एक विकल्प को अपना सकती है। (i) संशोधन की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष; या (ii) संशोधन की अधिसूचना के एक वर्ष बाद शुरू करके लड़कियों के विवाह में एक बार में एक वर्ष के लिए समय-सारणी में वृद्धि करना।

सरकार द्वारा रिपोर्ट की जांच की गई और कार्य बल की सिफारिश के आधार पर सरकार ने अधिसूचना की तारीख से दो साल बाद संशोधनों को लागू करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि नागरिकों को इस महत्वपूर्ण सुधार की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

*****